

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिशेषा सहित प्राप्त निम्नांकित वडाओ/कार्मिकों को आशवासित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ./व.स. / सम्प्रदा / पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-पे/ 2017 में आहरित पे-बै.	देय एम्पी एवं तिथि		विधिक
											दिनांक	ग्रेड पे / पे मैट्रिक्स	
1	ABAD ALI BALWANT	PET II	GSSS KHANDI	PALI	30-12-1987	04-07-2013	04-07-2013	9	05-07-2022	L-11	05-07-2022	L-12	
2	SINGH RANAWAT	SR. TEA.	GUPS FUTEJA AJARI	PALI	23-11-1963	21-08-1995	14-07-2018	27	21-08-2022	L-12	21-08-2022	L-13	
3	BHAGWAN SINGH	SR. TEA.	GUPS BERA DABIYAWALA BALUNDA	PALI	11-10-1962	21-08-1995	01-06-2018	27	21-08-2022	L-12	21-08-2022	L-13	
4	BHAGWAN SINGH RATHORE	SR. TEA.	GUPS ODAVAAS	PALI	20-02-1966	24-08-1995	01-06-2018	27	24-08-2022	L-12	24-08-2022	L-13	
5	BHANWAR SINGH SOLANKI	SR. TEA.	GGSSS KHINWARA	PALI	01-08-1967	22-08-1995	26-04-2022	27	22-08-2022	L-12	22-08-2022	L-13	
6	BHAWANI SINGH RATHORE	SR. TEA.	GUPS PACHUNDA KALLAN	PALI	19-11-1964	26-08-1995	20-06-2018	27	26-08-2022	L-12	26-08-2022	L-13	
7	CHETAN DAS	SR. TEA.	GSSS RAJADAND	PALI	05-07-1966	31-08-1995	08-10-2015	27	31-08-2022	L-12	31-08-2022	L-13	
8	CHUNNI LAL MEGHWAL	SR. TEA.	GUPS GIRLS SONAIMANJI	PALI	20-03-1969	22-08-1995	29-04-2016	27	22-08-2022	L-12	22-08-2022	L-13	
9	DEVENDRA SINGH	SR. TEA.	GUPS AMBEDKAR COLONY GUNDOJ	PALI	14-07-1971	21-08-1995	28-05-2018	27	21-08-2022	L-12	21-08-2022	L-13	
10	DEVILAL MALVIYA	SR. TEA.	GGUPS SARVODAY NAGAR PALI	PALI	21-07-1969	19-09-1994	04-07-2019	27	19-09-2021	L-12	19-09-2021	L-13	
11	GHEESA RAM KUMHAR	SR. TEA.	GSSS VINGARLA	PALI	12-07-1963	22-08-1995	01-07-2019	27	22-08-2022	L-12	22-08-2022	L-13	
12	GIRDHARI LAL	PET II	GSSS NIMBOL	PALI	04-07-1980	13-07-2013	13-07-2013	9	13-07-2022	L-11	13-07-2022	L-12	
13	JITENDRA KUMAR SAHU	SR. TEA.	GUPS ROOPNAGAR	PALI	13-04-1967	01-07-1995	01-11-2017	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	

8

क. स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथी	प्रथम नियुक्ति तिथी/ नियुक्ति तिथी	य.अ./य.स./ सम्प्रदा/ पद पर कार्यग्रहण तिथी	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-ये/ 2017 में आहरित पे-बै.	देय एम्पी एवं तिथी		विधि
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
14	JITENDRA SINGH RATHORE	PET II	GSSS TAKHATGARH	PALI	05-01-1981	01-07-2013	01-07-2013	9	01-07-2022	L-11	01-07-2022	L-12	
15	KAILASH BAWAL	SR. TEA.	GSSS DEVTRA	PALI	08-02-1979	27-04-2005	25-09-2013	18	27-04-2022	L-11	27-04-2022	L-12	
16	KANA RAM PRAJAPAT	SR. TEA.	GSSS HINGAWAS	PALI	20-06-1966	01-07-1995	09-10-2015	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
17	KAVITA RATHORE	SR. TEA.	GSSS DUDALI	PALI	27-07-1972	11-01-1995 R.P. 01-07-1995	25-05-2018	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
18	LACHHA RAM PARIHAR	SR. TEA.	GSSS PUNADIYA	PALI	01-07-1965	19-08-1995	03-11-2017	27	19-08-2022	L-12	19-08-2022	L-13	
19	MAHIPAL SINGH KAVIYA	SR. TEA.	GSSS JHALA KI CHOWKI	PALI	01-07-1969	01-07-1995	13-09-2013	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
20	MANOJ GAUTAM	SR. TEA.	GSSS KHUNDAWAS	PALI	15-08-1968	05-07-1995	28-05-2018	27	05-07-2022	L-12	05-07-2022	L-13	
21	MOHAN SINGH	SR. TEA.	GSSS DHABAR	PALI	14-02-1966	01-07-1995	03-09-2013	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
22	NUTAN KUMAR MEGHWAL	SR. TEA.	GSSS KARMAWAS PATTI	PALI	01-11-1969	25-08-1995	22-08-2019	27	25-08-2022	L-12	25-08-2022	L-13	
23	PREM LATA RAJPUROHIT	SR. TEA.	GSSS TAIGOR NAGAR	PALI	27-09-1967	02-03-1995 R.P. 01-07-1997	03-10-2015	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
24	PREM SINGH	PET II	GSSS ATABARA	PALI	03-12-1983	01-07-2013	01-07-2013	9	01-07-2022	L-11	01-07-2022	L-12	
25	RAJENDRA KUMAR KHAMRANA	SR. TEA.	GSSS VADERWAS, PALI	PALI	13-01-1971	06-03-1995 R.P. 01-07-1995	18-09-2013	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
26	RAJENDRA SINGH	SR. TEA.	GSSS MIRGESHWAR	PALI	05-01-1965	21-08-1995	28-04-2016	27	21-08-2022	L-12	21-08-2022	L-13	

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ./ व.स./ समग्र/ पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-पे/ 2017 में आहरित पे-बै.	देय एसपी एवं तिथि		विशेष
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
27	RAJENDRA SINGH GEHLOT	AAO	GSSS LUNAWA	PALI	16-01-1969	01-01-1992	03-05-2003	27	01-01-2019	L-10	26-11-2021	L-11	वर्ष 2017-18 में पदोन्नति परित्याग के कारण आगे बढ़ाई गई।
28	RAMESH CHOUDHARY	S.A.	GGSSS ATABARA	PALI	23-09-1985	20-05-2004	09-11-2015	18	20-05-2022	L-8	20-05-2022	L-10	
29	RANDHIR SINGH RATHORE	SR. TEA.	GGSSS RABADIYAWAS	PALI	29-09-1966	23-08-1995	01-06-2018	27	23-08-2022	L-12	23-08-2022	L-13	
30	SAMPAT RAJ RAO	SR. TEA.	GUPS KHARCHIYA BERA BEEROL	PALI	14-09-1968	01-07-1995	05-06-2018	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
31	SAVA RAM MEENA	SR. TEA.	GSSS LUNAWA	PALI	01-12-1972	28-09-1991	04-07-2019	27	28-09-2018	L-12	12-04-2021	L-13	वर्ष 2016-17 डीपीसी परित्याग के कारण आगे बढ़ाई गई
32	SURESH KUMAR	SR. TEA.	GSSS HINGOLA KHURD, M.J.	PALI	09-06-1984	26-04-2013	26-04-2013	9	26-04-2022	L-11	26-04-2022	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी एसीपी लाम देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/विचारधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाम ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश-प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा नेशनल लाम की तिथि (प्रथम नियुक्ति मानते हुए) से एसीपी आवेदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदभूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होगा।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि सदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।

(प्रकाश चन्द सिंगाडिया)

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

दिनांक :- 18/10/2022

- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
- सम्बन्धित संस्था प्रधान/ पी. 6. स्तरक पत्रावली

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/21/561
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिशंका सहित प्राप्त निम्नांकित व030/कार्मिकों को आशवासित करियर प्रोग्रेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

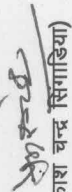
क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थान स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि / नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ. / व.स. / समअ. / पद पर कार्यग्रहण तिथि	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-ये/ 2017 में आहरित पे-बै.	देय एसीपी एवं तिथि		विविध
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
1	BALDEV KUMAR	SR. TEA.	GSSS JALORE	JALORE	09-06-1984	05-04-1995 R.P. 01-07-1995	29-07-2016	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
2	BHAVARA LAL	SR. TEA.	GSS BIJOL SANCHORE	JALORE	01-07-1984	19-09-2012	19-09-2012	9	19-09-2021	L-11	19-09-2021	L-12	
3	GANGA RAM BISHNOI	SR. TEA.	GSSS HOTHIGAON, CHITALWANA	JALORE	05-09-1969	01-07-1995	09-10-2015	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
4	JAWAN SINGH	SR. TEA.	GSSS KOTDA	JALORE	27-08-1969	01-07-1995	13-09-2016	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
5	KHEEM SINGH	SR. TEA.	GSSS NARSANA	JALORE	05-01-1973	01-07-1995	07-10-2015	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
6	KHUMAN SINGH SODHA	SR. TEA.	GSSS KAAWTARA	JALORE	08-07-1972	07-01-2013 A.N.	07-01-2013 A.N.	9	08-01-2022	L-11	08-01-2022	L-12	
7	MAHESH KUMAR BUGALIA	SR. TEA.	GSSS UMMEDPUR	JALORE	26-06-1976	01-10-2012	01-10-2012	9	01-10-2021	L-11	01-10-2021	L-12	
8	NARENDRA SINGH MAHECHA	SR. TEA.	GSSS AHORE	JALORE	20-07-1973	31-03-1995 R.P. 01-07-1995	03-10-2015	27	01-07-2022	L-12	01-07-2022	L-13	
9	NARESH CHANDRA JOSHI	SR. TEA.	GUPS JETPURA	JALORE	27-12-1967	17-08-1994	03-11-2017	27	17-08-2021	L-12	17-08-2021	L-13	
10	PABOO RAM	SR. TEA.	GSSS NIMBODA	JALORE	01-07-1979	07-01-2013	07-01-2013	9	07-01-2022	L-11	07-01-2022	L-12	
11	RAHIM KHAN HASANNIYA	SR. TEA.	GSSS DEDVA SANCHORE	JALORE	08-01-1963	01-09-1996	26-05-2018	27	22-09-2022	L-12	22-09-2022	L-13	
12	RAJ PAL JATAV	PET II	S.V.G.M. MODEL SCHOOL MADRAIL	JALORE	15-07-1971	21-03-2013	21-03-2013	9	21-03-2022	L-11	21-03-2022	L-12	

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथी	प्रथम नियुक्ति तिथी / नियमित नियुक्ति तिथी	व.अ./व.स./ सप.अ./ पद पर कार्यग्रहण तिथी	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतन 2008 में आहरित ग्रेड-पे/ 2017 में आहरित पे-भै.	देय एसपी एवं तिथी	वि०वि०
13	RAJENDRA KUMAR	SR. TEA.	GSSS BHAGALI SINDHALAN	JALORE	15-05-1980	18-09-2012	18-09-2012	9	18-09-2021	L-11	18-09-2021	L-12

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचाराधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रमाणी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रमाणी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा नौशनल लाभ की तिथी (प्रथम नियुक्ति मानते हुए) से एसीपी आवेदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रमाणी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोद्यूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रमाणी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथी को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रुल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि सदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।


(प्रकाश चन्द्र सिंगाडिया)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

दिनांक :- 18/10/2022

क्रमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था-1/एसीपी/21/ 562
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ पी. 6. श्रेणिक पत्रावली


संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 06.07.2013 एवं आदेश एक 13(1) एक.डी. (रूल) दिनांक 30.10.17 के अनुसार एवं सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिप्राय सहित प्राप्त निम्नांकित व030/कार्मिकों को आह्वासित करियर प्रोग्रेस (ACCP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/ नियमित नियुक्ति तिथि	व.अ./ व.स./ सम्प्रदाय/ पद पर कार्यरत तिथि	सेवाअवधि (वर्ष से)	देय तिथि	पुनरीक्षित 2008 में आहति ग्रेड-वे/ 2017 में आहति पे-बी	देय एसी एवं तिथि		बिबिध
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे सेंट्रल	
1	ANIL KUMAR BARIWA	AAO	GSSS SWAROOPGANI	SIROHI	24-09-1964	08-09-1995	21-03-2020	27	08-09-2022	L-10	08-09-2022	L-11	
2	DEEPA GEHLIOT	SR. TEA.	MGGSS KESARPURA	SIROHI	06-10-1968	07-07-1995	15-12-2016	27	07-07-2022	L-12	07-07-2022	L-13	
3	JARINA BANO	SR. TEA.	GSS TARTOLU ABURROAD	SIROHI	02-07-1968	01-01-1992 R.P. 01-07-1992	09-12-2016	27	01-07-2019	L-12	18-12-2020	L-13	01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सलाना। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 18.12.2020 अनुसार देय
4	KAILASH CHANDRA	PET II	GSSS NITORA	SIROHI	13-07-1981	02-07-2013	02-07-2013	9	02-07-2022	L-11	02-07-2022	L-12	
5	KAILASH KUMAR SAINT	S.A.	GSSS DHANARI	SIROHI	07-09-1978	18-12-2002	06-11-2011	18	18-12-2020	L-8	18-12-2020	L-10	
6	KAMLESH KUMAR DAVE	SR. TEA.	GSSS VERA JETPURA	SIROHI	03-05-1970	05-07-1995	06-06-2018	27	05-07-2022	L-12	05-07-2022	L-13	
7	MAHIPAL SINGH CHARAN	SR. TEA.	GSSS MOONGTHALA	SIROHI	06-02-1976	04-01-2013 A.N.	04-01-2013 A.N.	9	05-01-2022	L-11	05-01-2022	L-12	
8	SHUCHITTA GOMTIWAL	SR. TEA.	GSSS NEW BUILDING SIROHI	SIROHI	04-06-1972	12-07-1994	10-12-2016	27	12-07-2021	L-12	01-03-2022	L-13	वर्ष 2013-14 में पदोन्नति परित्याग के कारण आगे बढ़ाई गई।
9	TALKA RAM MEHWAL	PET II	GSSS KRISHNAGANI	SIROHI	09-10-1982	01-07-2013	01-07-2013	9	01-07-2022	L-11	01-07-2022	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयपत्र द्वारा किया जाएगा एवं इसकी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयपत्र यह सुनिश्चित कर लेवे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयपत्र स्तर पर लम्बित/ विचारधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी सलाना हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे। यदि किसी कार्मिक द्वारा जोशानल लाभ की तिथि (प्रथम नियुक्ति मानते हुए) से एसीपी आवेदन किया है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.2006) अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का परिपत्र प्रोदेमूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (संशोधित पद) पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भागा-1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोड़ा गया तदनुसार देयता तिथि को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10.20.30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एक.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वरीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वरीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अति संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।

क्रमांक : सं.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संख्या-1/एसीपी/21/ 563

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

दिनांक :- 18/10/2022

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान / पी.6. स्तरक प्रचारको

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

(प्रकाश चन्द सिंगरिया)

संयुक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

प्रधानाचार्य

विषय :- एसीपी हेतु प्रेषित प्रकरण में आक्षेप निवारण कर भिजवाने बाबत।

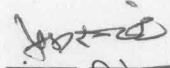
विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आपके अधिनस्थ कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों के एसीपी प्रकरण इस कार्यालय को भिजवाये गये हैं, जिनमें बकाया वाकामू हेतु आक्षेप लगाये गये थे, किन्तु निम्नानुसार कार्मिकों के प्रेषित वाकामू में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार आक्षेप है जिनका निवारण करवा प्रस्तुत करें साथ ही सम्बन्धित संस्था प्रधान को नोटिस जारी कर प्रतिउत्तर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	आक्षेप
1	LADU LAL KHATIK	PET II	S.V.G.M. MODEL SCHOOL MANDAL BHILWARA	PALI	20-10-1984	दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान है अतः उसी अनुरूप प्रस्तुत करें साथ ही नियमों के विपरीत प्रकरण अग्रप्रेषित करने का कारण स्पष्ट करें। पुनः यथास्थिति में प्रस्तुत किया गया है अतः सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्मिक का स्पष्टीकरण वांछित।
2	PRAMOD ANAND GIRI	PET II	S.V.G.M. MODEL SCHOOL BALOTRA	JALORE	01-10-1977	प्रथम नियुक्ति आदेश एवं स्थायीकरण प्रति सलंगन करें। ऑनलाईन आवेदन में सन्तान घोषणा पत्र में बच्चे का नाम अंकित करें।
3	LADHU RAM	SR. TEA.	GSSS KOTDA R	JALORE	14-07-1974	आवेदित एसीपी का पूर्ण विवरण अंकित करें।
4	SHYAM PRAKASH VYAS	SR. TEA.	GUPS NIMBEDA KHURD, JAITARAN	PALI	01-01-1966	10 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक 26.09.2021 से जारी की गई है अतः संशोधित आदेश अपेक्षित पूर्व में भी आक्षेपित किया गया था, पुनः यथावत भेजने के लिए उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित
5	BAXA RAM KHERIYA	SR. TEA.	GGUPOS DIGARNA	PALI	01-01-1968	
6	KAILASH CHAND	SR. TEA.	GSSS BAGATPURA	PALI	01-07-1968	01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान है अतः उस अनुरूप प्रस्तुत करें साथ ही देरी का कारण स्पष्ट करें।
7	LALA RAM SUTHAR	SR. TEA.	GUPS MARUKHEDA	JALORE	29-01-1964	देरी का कारण स्पष्ट करें।
8	MUKESH KUMAR KALAWANT	SR. TEA.	GUPS SIYAKARA	SIROHI	23-03-1965	देरी का कारण स्पष्ट करें।
9	KAPIL DEV CHARAN	SR. TEA.	GSSS SIRVI ACHLI BAI VARPA ISALI	PALI	04-11-1969	पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान एवं एसीपी विवरण सलंगन करें।
10	DEVA RAM MEGHWAL	SR. TEA.	GSSS MANORA	SIROHI	01-07-1974	आवेदित एसीपी का पूर्ण विवरण अंकित करें।
11	CHANDRA PRAKASH	SR. TEA.	GUPS JANIYO KI DHANI WADANAYA	JALORE	15-01-1963	देरी का कारण स्पष्ट करें।
12	POONJA RAM GOYAL	SR. TEA.	M.G.G.S CHITALWANA	JALORE	01-06-1981	1. दिनांक 01.04.2022 से एसीपी चाहने का कारण स्पष्ट करें। 2. स्थाईकरण आदेश की स्पष्ट प्रति सलंगन करें। 3. पूर्व में स्वीकृत च.वे.मा. एवं एसीपी का अंकन नहीं किया गया है। 4. वाकामू 14.15 से 19.20 तक आफलाईन एवं 20.21 की ऑनलाईन वांछित पूर्व में भी आक्षेपित किया गया था, यथास्थिति में ही पुनः भेजने का कारण स्पष्ट करें।

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथी	आक्षेप
13	SOHAN LAL MALI	SR. TEA.	GUPS BERA BANDIYA MANDAL	PALI	15-04-1965	डीपीसी वर्ष 2017.18 की अंकित की गई है जबकि कार्यग्रहण 10.07.2021 दर्शायी गई है स्पष्ट करें। डीपीसी प्रति सलंगन करें।
14	DHARM PAL BISSA	SR. TEA.	GSSS SANDIYA	PALI	26-07-1973	आवेदित एसीपी का पूर्ण विवरण अंकित करें।
15	CHHAGAN LAL BAMNIYA	SR. TEA.	GSSS TEJA KI BERI, SAYLA	JALORE	07-07-1972	सेवाकाल में हुई पदोन्नति में दो पदोन्नति समान पद हेतु दर्शाया गया है स्पष्ट करें। 10 वर्ष चयनित वेतनमान प्रभावी दिनांक 01.01.2006 से दर्शाने का कारण स्पष्ट करें।
16	BABU RAM PARIHAR	SR. TEA.	GUPS POONAVAS SAYLA	JALORE	15-09-1969	डीपीसी की स्थिति स्पष्ट करें। देरी का कारण स्पष्ट करें।

प्रायः यह देखा गया है कि आप द्वारा प्रकरण की जांच किये बिना ही अग्रिमित कर दिया जाता है जिसके कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जावे।

564
18/10/2022


संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली